RNI No. : UPHIN-2009/29369

डाक पंजीकरण : KANPUR HO/002/2022-24
प्रधान डाकघर कानपुर-डाक प्रेषण दिनांक 29/30

वार्षिक सदस्यता शुल्क 100/-

द्रविड़ भारत

www.dbindia.org.in

सामाजिक परिवर्तन का मासिक पत्र

गौतम बुद्ध

बाबा साहेब डा0 अम्बेडकर

जून-2024 | वर्ष - 16 | अंक : 05 | मूल्य : 5/-

Youtube पर Dravid Bharat Channel को Subcribe करें और दबायें।

सम्पादकीय

RNI No. : UPHIN-2009/29369

संपादक : उमेश्वरी देवी, मो.: 9005204074
संरक्षक मण्डल : मा. रामदीन अहिरवार (महोबा), मा. राम अवतार चौधरी (सहा.अभि. जलकल विभाग), मा. छविलाल वर्मा (चरखारी), मा. हरिनाथ राम (दिल्ली), मनीष कुमार मो. 9415053621
राज्य ब्यूरो प्रमुख उत्तर प्रदेश :
सुनील कुमार, ढेलवा, गाजीपुर (उ.प्र.), मो.: 9935363730, 9170836363
योगेन्द्र कुमार (ब्यूरो चीफ चित्रकूट मण्डल)
मो.: 8299162841
हमीरपुर ब्यूरो प्रमुख -
रघुवर प्रसाद, मो.: 9793739030
क्षेत्रीय सम्पादकीय कार्यालय :
40/69, डी-5, श्यामलाल का हाता, परेड, कानपुर (उ.प्र.), मो. : 8756157631
ब्यूरो प्रमुख लखनऊ मण्डल :
राजकुमार, उन्नाव
मो.: 9889273743, 9392660070
हरियाणा राज्य :
डा. रमेश रंगा, ग्राम-सराय, औरंगाबाद, पो.-बहादुरगढ़,जिला-झज्जर (हरियाणा),09416347052
कानूनी सलाहकार : एड. रामप्रकाश अहिरवार, एड. यू.के. यादव, मोती लाल वर्मा, एड. विजय बहादुर सिंह राजपूत, एड. रमाकान्त धुरिया, रामऔतार वर्मा, एड. सुशील कुमार, कानपुर
मध्य प्रदेश राज्य : पुष्पेन्द्र कुमार
कार्यालय : ग्रा. व पो.-रामटौरिया, जिला-छतरपुर
छत्तीसगढ़ राज्य : ब्यूरो प्रमुख
रमा गजभिये, मो.: 7828273934
दिल्ली प्रदेश : C/o अनिल कुमार कनौजिया C-260, हर्ष विहार, हरिनगर एक्सटेंशन पार्ट-III, बदरपुर, नई दिल्ली-44, मो. : 09540552317
राजस्थान राज्य : रघुनाथ बौद्ध, श्याम रघु फुट वियर, दुकान नं.-1, गणेश मार्केट, पुलिस चौकी के सामने, अलवर, जिला-अलवर-301001,
मो. : 09887512360, 0144-3201516
बाबूलाल बौद्ध, अलवर, मो.-08058198233
संपादकीय/विज्ञापन प्रसार/पंजीकृत कार्यालय :
ग्रा व पो.-रिवई (सुनैचा), जिला-महोबा (उ.प्र.)
मो. : 9005204074, 8756157631
E-mail : dravinbharat1@gmail.com
प्रकाशक, मुद्रक एवं स्वामी
उमेश्वरी देवी द्वारा ग्रा. व पो.-रिवई (सुनैचा), जिला महोबा से प्रकाशित व श्रेय ऑफसेट प्रा. लि., 109/406, नेहरू नगर, कानपुर, 84/1, बी, फजलगंज, कानपुर से मुद्रित

प्रकाशित पत्रिका में प्रकाशित लेख, सामग्री, में संपादक की सहमति अनिवार्य नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार का दावा या विचार मान्य नहीं होगा। लेख के विवादित होने पर लेखक ही उत्तरदायी होगा समस्त विवादों का निपटारा महोबा न्यायालय में होगा पत्रिका का संपादन एवं संचालन पूर्णतयः अवैतनिक एवं अव्यवसायिक है।

मिशन को बढ़ाने के लिए सहयोग करें -
भारतीय स्टेट बैंक
पी.पी.एन. मार्केट, कानपुर
खाता सं.-33496621020
IFSC CODE-SBIN0001784

आदमी का पतन कैसे होता है

1. एक बार भगवान बुद्ध श्रावस्ती में अनाथपिण्डक के जेतवनाराम में ठहरे हुए थे।

2. अब जब रात काफी बीत चुकी थी, तो एक देवता, जिसके प्रकाश ने सारे जेतवन को प्रकाशित कर दिया था तथागत के पास आया और पास आकर श्रद्धापूर्वक अभिवादन किया और एक ओर खड़ा हो गया। इस प्रकार खड़े होकर उसने तथागत से निवेदन किया-

3. ''तथागत ! मैं आपकी सेवा में प्रश्न पूछने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। कृपया बताएँ कि आदमी का पतन कैसे होता है।'' भगवान बुद्ध ने आदमी के पतन के कारणों का वर्णन करना स्वीकार किया -

4. ''उन्नतिशील आदमी के लक्षण भी आसान है और पतनोन्मुख आदमी के लक्षण भी आसान हैं। जो धर्म से प्रेम करता है वह उन्नत होता है जो धर्म से घृणा करता है, उसका पतन होता है।

5. ''असत्पुरूष उसे अच्छे लगते हैं, सत्पुरूष उसे अच्छे नहीं लगते, असत्पुरूषों का धर्म अच्छा लगता है-यह पतनोन्मुख आदमी का दूसरा लक्षण है।

6. वह तन्द्रालु होता है, उसे गप्प मारना अच्छा लगता है, वह परिश्रमी नहीं होता, सुस्त होता है और क्रोधी होता है - यह पतनोन्मुख का तीसरा लक्षण है।

7. ''जो पास में पैसा रखकर भी अपने गत-यौवन वृद्ध माता-पिता का पालन-पोषण नहीं करता-यह पतनोन्मुख का चौथा लक्षण है।

8. ''जो झूठ बोलकर किसी भले आदमी (=ब्राह्मण) को, किसी भ्रमण को वा किसी अन्य साधु को ठगता है- यह पतनोन्मुख का पांचवाँ लक्षण है।

9. जो आदमी बहुत सम्पत्ति रखता है, जिसके पास बहुत धन-धान्य है, लेकिन जो उसे अकेला ही भोगता है-यह पतनोन्मुख आदमी का छठा लक्षण है।

10. ''जिस आदमी को अपने जन्म का, धन का वा जाति का अभिमान है और अपने सम्बन्धियों से ही दूर दूर रहता है- यह पतनोन्मुख आदमी का सातवाँ लक्षण है।

11. ''जो आदमी व्यभिचारी है, शराबी है, जुआरी है और जो कुछ पास है उसे ऐशोआराम में लुटाता है-यह पतनोन्मुख आदमी का आठवाँ लक्षण है।

12. ''जो अपनी पत्नी से ही सन्तुष्ट न रहकर, वेश्याओं तथा पर-स्त्रियों के पास जाता है-यह पतनोन्मुख आदमी का नौवा लक्षण है।

13. ''जो आदमी किसी असंयत फजूल-खर्च आदमी वा स्त्री को अधिकारी बना देता है-यह पतनोन्मुख आदमी का ग्यारवाँ लक्षण है।

14. ''जो क्षत्रिय, अल्प साधन रखते हुए किन्तु बड़ी महत्वाकांक्षा होने के कारण राजा बनने की आकांक्षा रखता है-यह पतनोन्मुख आदमी का बारहवाँ लक्षण है।

15. ''हे देव! पतन के इन कारणों को जान ले। यदि तू इनसे बचा रहेगा, तो तू सुरक्षित रहेगा।''

साभार : भगवान बुद्ध और उनका धर्म
पेज संख्या 300 से 301 तक
अनुवादक डॉ. भदन्त आनन्द कौसल्यायन

सही चुनाव एवं बेहतर प्रयोग हेतु निर्देश

पूंजी और बाजार की दुनिया में व्यापारीकरण की बदौलत जिस सभ्यता का बोलबाला है उसमें उत्पाद विशेष पर सही सूचना के साथ उपभोक्त को मार्गदर्शन कम दिया जाता है, विमार्गदर्शन ज्यादा। खाद्य-तेलों पर सही जानकारी और उपभोग में विवेक का प्रयोग करना तेलों के सही चुनाव और बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। कुछ मार्गदर्शक निर्देश निम्नांकित है :

1. सामान्य भारतीय शाकाहारी भोजन में आवश्यक वसा अम्लों लिन और लेन की 70 प्रतिशत आवश्यक मात्रा अदृश्य वसा के रूप में मौजूद रहती है। अतिरिक्त वसा की आवश्यकता कम ही होती है। अतः प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 30 ग्राम खाद्य तेल से ज्यादा न लिया जाए।

2. अकेले प्यूफा श्रेणी के तेल पर ही न निर्भर रहे। प्यूफा के साथ एकल असंतृप्त और बहु संपृक्त वसा वाले तेलों के मिलावे का प्रयोग स्वास्थ्य के लिये बेहतर है।

3. किसी भी खाद्य तेल में कोलेस्ट्राल मौजूद नहीं होता। घी, दूध, गोश्त, अंडा तथा अन्य पशु आधारित खाद्यों में कोलेस्ट्राल विविध मात्रा में मौजूद होता है। ऐसे खाद्य पदार्थों की उतनी ही मात्रा रोजाना लें, जिसमें कोलेस्ट्राल 300 मिलिग्राम से ज्यादा न हो।

4. खुले रूप में प्राप्त खाद्य तेलों में सस्ते खाद्य तेलों और अखाद्य-तेलों तक की मिलावट की आशंका रहती है। ऐसे तेलों में मिलावट की जांच करें (खाद्य मिलावट की जांच संबंधी अध्याय देखें)।

5. सभी खाद्य तेलों की कैलोरी संख्या लगभग एक किलो कैलोरी प्रति ग्राम है। कोई भी खाद्य तेल कैलोरी संख्या में 'हल्का' या 'भारी' तेल नहीं है। भ्रामक प्रचार से बचें।

6. तलने में कम चिपकने वाले खाद्य तेल प्यूफा श्रेणी के हो सकते हैं जो दरअसल गहरे तलने के लिए उपयुक्त या सुरक्षित नहीं होते। 'हल्का' कहे जाने वाले ऐसे तेलों के भ्रामक विज्ञापनों से जागरूक रहें।

7. परिष्कृत या रिफाइंड डिब्बाबंद खाद्य-तेल पर ज्यादा भरोसा करें। परिष्करण से तेल रंगहीन, गंधहीन और सौम्य स्वाद हो जाता है, कुछ विषाक्त तत्व जैसे मूंगफली का एफ्लाटॉक्सिन खत्म हो जाते हैं, कीटनाशक रसायन अलग हो जाते हैं और ऐसा परिष्कृत तेल अपेक्षाकृत ज्यादा समय तक बिसायंध नहीं होता। वैसे परिष्करण द्वारा तेल के वसा-संघटन, कैलोरी संख्या और अन्य आधारभूत गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता।

8. तली हुई चीजे कम लें, वनस्पति घी से परहेज रखें, गहरा तलने के लिए एकल असंपृक्त और संतृप्त वसा वाले तेलों का मिलावा लें, प्यूफा तेलों से न तलें। तलने से बचे हुए तेल का बार-बार इस्तेमाल न करें।

9. खाद्य तेलों में प्रोटीन नहीं होती क्योंकि यह खली में चली जाती है। इस संबंध में भ्रामक विज्ञापनों से गुमराह न हों।

10. मिश्रित या खाद्यतेल में मात्र दो तेल 20:80 के अनुपात में एगमार्क चिन्ह सहित बंद डिब्बे में बेचे जा सकते हैं, खुले रूप में नहीं।

साभार : उपभोक्ता वस्तुओं का विज्ञान
पेज संख्या 65 से 66 तक
रामचन्द्र मिश्र

मनुष्यों में रहने के अयोग्य

अस्पृश्य, जैसा कि पिछले अध्यायों में बताया गया है, हिंदू समाज से बाहर है। लेकिन अभी यह सवाल बाकी है कि उन्हें हिंदुओं से कितनी दूरी पर रखा गया है? अगर हिंदू उन्हें हिंदू के रूप में नहीं मानते, तब वे मानव मानकर उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं? जब तक इन सवालों का जवाब नहीं मिल जाता, तब तक हम अस्पृश्यों के जीवन के बारे में कोई सही तस्वीर नहीं बना सकते। इसका उत्तर है, बशर्ते कि कोई इसे जानना चाहे। कठिनाई केवल यह है कि उस उत्तर को किस प्रकार पेश किया जाए। इसे पेश करने के दो तरीके हैं। या तो यह कि यह उत्तर बयान के रूप में दिया जाए या यह कि कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं। मैं उदाहरण का तरीका अपनाऊंगा। मैं पाठकों को ढेर सारे उदाहरण देकर यह नहीं चाहूंगा कि उनका मन ऊब जाए। मैं कुछेक उदाहरण दूंगा, जिनसे स्थिति स्वतः स्पष्ट हो जाएगी। पहला उदाहरण मद्रास राज्य से है।

सन् 1909 में श्री वेंकट सुब्बा रेड्डी और उसके साथियों ने मजिस्ट्रेट द्वारा कुछ लोगों की इस शिकायत पर कि उन्होंने उनको बाधा पहुंचाई, भारतीय दंड–संहिता की धारा 339 के अधीन सजा दिए जाने के विरूद्ध मद्रास हाईकोर्ट में अपील की। इस मुकदमें में वादी और प्रतिवादी, दोनों ही हिंदू थे। मद्रास हाईकोर्ट के निर्णय में इस मुकदमें का पूरा ब्यौरा तो मिलता ही है, लेकिन इससे अस्पृश्यों की तुलना में अस्पृश्यों की स्थिति बड़े ही सटीक ढंग से स्पष्ट होती है। यह निर्णय उद्धत करने योग्य है। यह इस प्रकार है :

''अपीलकर्ताओं (वेंकट सुब्बा रेड्डी तथा अन्य) को इसलिए सजा दी गई है कि उन्होंने कुछ पेरियाओं को एक मंदिर के पास सार्वजनिक मार्ग में इस उद्देश्य से खड़ा किया, जिससे वादी उस मंदिर से एक जुलूस उस सड़क से होकर निकाल न सके। यह पता चला कि वादी ने इस आशंका से जुलूस नहीं निकाला कि अगर वह पेरियाओं के पास से होकर गुजरा तो वह अपवित्र हो जाएगा और यह कि अभियुक्त ने दुर्भावनापूर्वक पेरियाओं को सड़क पर खड़ा किया, जिसका एकमात्र प्रयोजन वादी को वहां जाने से रोकना था, जहां उसे जाने का अधिकार था।

हम यह नहीं समझते कि अभियुक्त ने अनुचित अवरोध करने का कोई अपराध किया, हमारे विचार से यह कार्रवाई कोई ऐसी कार्रवाई नहीं थी, जिसे धारा 339 के अंतर्गत बाधा माना जाए। पेरिया लोग कोई बाधक नहीं थे। दरअसल वादी को उनके पास से जुलूस ले जाने से रोकने की कोई बात नहीं थी और उन्हें यह अधिकार था कि वे जहां रहना चाहते थे, रहे। और यह नहीं कहा गया कि उनकी परिस्थिति का प्रयोजन शारीरिक क्षति पहुंचाने का या किसी ऐसे भय को उत्पन्न करना था कि उनकी परिस्थिति से अपवित्र होने के अतिरिक्त कुछ और भी हो सकता था।

शिकायतकर्ता जहां जाना चाहता था, उसको वहां जाने से रोकने का कारण पेरियाओं की उपस्थिति नहीं थी, बल्कि उसका कारण उसकी खुद की अनिच्छा थी, जिसके कारण यह पेरियाओं के पास नहीं गया। जैसा कि श्री कुप्पुस्वामी अय्यर ने कहा है कि यह उसके द्वारा स्वयं किया गया चुनाव था, जिसके कारण वह मंदिर से बाहर नहीं गया। यह उसने अपनी सहमति से किया कि वह वहीं रहा और दंड–संहिता के अर्थ की सीमा में क्षति पहुंचने का कोई भय नहीं था, जिसके कारण उनकी सहमति मुक्त सहमति न होती। यदि स्थिति इससे भिन्न होती, तब यह समझा–जाता कि किसी भी पेरिया के खिलाफ गलत खड़े होने के बारे में शिकायतकर्ता द्वारा की गई यह शिकायत उचित थी कि जब उससे उस स्थान से कुछ दूर हट जाने के लिए कहा गया, जहां वह अपने किसी काम से बिना किसी कानून का उल्लंघन किए विद्यमान था, तो उसने वहां से हटने से यह जानते हुए मना कर दिया कि जब तक वह वहां रहेगा, तब तक शिकायतकर्ता अपवित्र हो जाने के डर के कारण उसके पास से नहीं जाएगा।

यह स्पष्ट है कि इस मामले में कोई अनुचित बाधा नहीं पहुंचाई गई और हम समझते हैं कि अभियुक्त ने जो वहां पेरिया लोगों को खड़ा किया, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता।

इसलिए हम सजा को रदद करते हैं और यदि कोई जुर्माना अदा कर दिया गया है, तो वह लौटा दिया जाए।''

यह एक ज्वलंत उदाहरण है। मुकदमें में दो पक्ष थे। वेंकट सुब्बा रेड्डी एक पक्ष का नेता था। दोनों पक्ष सवर्ण हिंदू थे। उनके बीच जुलूस ले जाने के अधिकार के बारे में विवाद था। वेंकट सुब्बा रेड्डी अपने विरोधियों को जुलूस निकालने से रोकना चाहता था। इसके लिए अपने विरोधियों को जुलूस निकालने से रोकना चाहता था। इसके लिए उसे कोई अच्छा तरीका मालूम नहीं था। तभी उसके दिमाग में यह तरकीब सूझी कि कारगर तरीका यही हो सकता है कि कुछ अस्पृश्यों को सड़क पर खड़ा कर दिया जाए और उनसे वहां से न हटने के लिए कहा जाए। यह चाल काम कर गई और उसके विरोधी अपवित्र हो जाने के भय के कारण अपना जुलूस नहीं निकाल सके। यह बात दूसरी है कि मद्रास हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया कि पेरियाओं को सड़क पर खड़ा करना कानून की दृष्टि में बाधा नहीं कहलाता। लेकिन सच्चाई तो यही है कि सड़क पर पेरियाओं की उपस्थिति हिंदुओं को दूर रखने के लिए काफी है। इसका अर्थ यह हुआ कि हिंदुओं के मन में अस्पृश्यों के प्रति अटूट घृणा भरी हुई है।

दूसरा उदाहरण भी उतना ही ज्वलंत है। यह काठियावाड़ में स्कूल के एक अस्पृश्य मास्टर से संबंधित है। यह श्री गांधी द्वारा प्रकाशिक 'यंग इंडिया' नामक पत्र के 12 दिसंबर 1929 के अंक में पत्र के रूप में छपा था। इस पत्र में उसने यह बताया है कि उसे अपनी पत्नी का का एक हिंदू डाक्टर से इलाज कराने में कौन–कौन सी कठिनाइयों आई और किस प्रकार उसकी पत्नी और उसका बच्चा, दोनों ही इलाज न किए जाने पर मर गए। पत्र में बताया गया है :

''मेरी पत्नी ने इस महीने की पांच तारीख को एक बच्चे को जन्म दिया। सात तारीख को वह बीमार पड़ गई और उसे दस्त लग गए। वह कमजोर होती गई। उसके सीने पर सूजन आ गई। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी और उसकी पसलियों में बहुत दर्द होने लगा। मैं डाक्टर को बुलाने गया, लेकिन उसने कहा कि वह हरिजन के घर नहीं जाएगा। वह बच्चे की जांच करने के लिए भी तैयार नहीं हुआ। तब मैं नगर सेठ के पास गया और गरसिया दरबार में गया, और उनसे गुजारिश की कि वे इस मामले में मेरी मदद करें। नगर सेठ ने बतौर डॉक्टर की फीस दो रूपये की जमानत दी। डाक्टर इस शर्त पर आया कि वह उन्हें हरिजन की बस्ती से बाहर देखेगा। मैं अपनी पत्नी और उसके हाल के हुए बच्चे को बस्ती के बाहर ले गया। तब डाक्टर ने अपना थर्मामीटर एक मुसलमान को दिया, उसने मुझे दिया और मैंने उसे अपनी पत्नी को लगाया, और बाद में इसी प्रक्रिया के द्वारा थर्मामीटर डाक्टर को लौटा दिया गया। तब कोई रात के आठ बजे होंगे। डॉक्टर ने लालटेन की रोशनी में थर्मामीटर देखा और कहा कि मरीज को निमोनिया हो गया है। इसके बाद डाक्टर चला गया और उसने दवाई भेज दी। मैं बाजार से अलसी का तेल खरीद लाया और उसे अपनी पत्नी के सीने पर मला। इसके बाद डाक्टर दुबारा आने के लिए तैयार न हुआ, हालांकि मैंने उसे उसकी फीस के दो रूपये दे दिए थे। यही बीमारी खतरनाक है। भगवान ही हमारा भला करेगा।

मेरे जीवन की ज्योति बुझ गई। आज दोपहर दो बजे मेरी पत्नी का देहांत हो गया।''

इस पत्र में स्कूल के अस्पृश्य मास्टर का नाम नहीं दिया गया। इसी प्रकार डाक्टर का नाम भी नहीं बताया गया है। ऐसा स्कूल के अस्पृश्य मास्टर के अनुरोध पर किया गया, क्योंकि उसे बाद में अपने सताए जाने की आशंका थी। इसमें जो बाते बताई गई हैं, वह सच हैं।

इसकी व्याख्या करने की कोई जरूरत नहीं है। काफी पढ़े–लिखे होने पर भी एक डॉक्टर ने ऐसी महिला के थर्मामीटर लगाना और उसका इलाज करना अस्वीकार कर दिया, जिसकी हालत काफी नाजुक थी। चूंकि उसने उसका इलाज करने से मना कर दिया, इसलिए वह महिला मर गई। उस डाक्टर को इस बात का तनिक भी ख्याल नहीं हुआ कि वह उस आचरण–संहिता का उल्लंघन कर रहा है, जो उसके व्यवसाय के लिए अनिवार्य होती है। हिंदू एक अस्पृश्य को छूने के बजाय अमानवीय होना अधिक पसंद करता है।

तीसरा उदाहरण 23 अगस्त 1932 के 'प्रकाश' से लिया गया है :

तहसील जफरवाल के गांव जगवाल में 6 अगस्त को एक बछड़ा कुएं में गिर पड़ा। उस समय राम महाशय नाम का एक डोम पास में ही खड़ा हुआ था। वह तुरंत कुएं में कूद पड़ा और उसने बछड़े को अपनी गोद में उठा लिया। तीन–चार आदमी उसकी सहायता के लिए आ गए और बछड़े को बचा लिया गया। लेकिन गांव के हिंदुओं ने आसमान सिर पर उठा लिया कि इस आदमी ने हमारा कुआं ही गंदा कर दिया और बेचारे को डांटने–फटकारने लगे। सौभाग्य से वहां एक बैरिस्टर आ गया। उसने उन लोगों को खूब डांटा–फटकारा, जो साधूराम से झगड़ रहे थे और उन्हें शांत किया। इस प्रकार एक आदमी की जान बच गई, वरना पता नहीं क्या होता।''

यहां क्या महत्वपूर्ण है– एक अस्पृश्य द्वारा बछड़े की रक्षा करना और उसके कारण कुएं का गंदा हो जाना, ''हिन्दुओं के विचार से बेहतर होता यदि उस बछड़े को मरने दिया जाता और कुएं को गंदा होने से बचाना।

''कालीकट के एक गांव कलाडी में एक युवती का बच्चा कुएं में गिर पड़ा। वह जोर–जोर से रोने–चिल्लाने लगी, लेकिन किसी की हिम्मत कुएं में कूदने की न हुई। वहां से एक अजनबी गुजर रहा था। वह बच्चे की रक्षा के लिए तुरंत कुएं में कूद पड़ा। जब उससे लोगों ने उसके बारे में पूछा कि वह कौन है, तो उसने जवाब दिया कि वह अस्पृश्य है। वहां लोगों ने उसके प्रति आभार प्रकट करने की बजाय उस पर गालियों की बौछार करनी शुरू कर दी और उसे मारा–पीटा कि उसने कुआं गंदा कर दिया।''

हिंदुओं के लिए अस्पृश्य कितना गंदा और साथ में रहने के अयोग्य समझा जाता है। यह जुलाई 1937 के लखनऊ से प्रकाशित 'आदि हिंदू' नामक पत्र में प्रकाशित इस घटना से प्रकट होता है,

''मद्रास होल्म्स कंपनी का एक कर्मचारी हाल ही में मर गया, जो अपने आपको ऊंची जाति का कहता था। जब उसकी चिता को अग्नि दी गई, तो उसके परिवार वालों और वहां खड़े लोगों ने उसकी चिता पर चावल फेंके। दुर्भाग्य से उसके दोस्तों में से एक अस्पृश्य भी था, जो मद्रास का आदि–द्रविड़ था। उसने भी दूसरे लोगों की तरह चिता पर चावल फेंके। इस पर सवर्ण हिंदुओं ने उसे भला–बुरा कहा कि उसने चिता को अपवित्र कर दिया। इस बात पर काफी गरमा–गरमी हुई और बात यहां तक पहुंच गई कि दो आदमियों के पेट में चाकू घोंप दिया गया। एक आदमी तो अस्पताल जाते–जाते मर गया और दूसरे की हालत नाजुक बताई जाती है।''

एक घटना है, जो इससे भी बढ़कर है। बंबई में 6 मार्च 1938 को दादर के पास कासरवाड़ी (वूलेन मिल्स के पीछे) में इन्दूलाल याज्ञनिक की अध्यक्षता में भंगियों की एक सभा हुई। इस सभा में एक भंगी युवक ने आपबीती

Youtube पर Dravid Bharat Channel को Subcribe करें और 🔔 दबायें।

इस प्रकार सुनाई :

''मैंने 1933 में वर्नाक्यूलर परीक्षा पास की। मैंने चौथी कक्षा तक अंग्रेजी पढ़ी थी। मैने बंबई नगर पालिका की स्कूल कमेटी को एक अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन–पत्र दिया। परंतु वहां कोई जगह खाली नहीं थी, इसलिए मुझे सफलता नहीं मिली। फिर मैंने अहमदाबाद के पिछड़ी जाति अधिकारी को आवेदन–पत्र दिया कि मुझे पटवारी की नौकरी दी जाए, और मैं सफल हो गया। 19 फरवरी 1936 को मुझे खेड़ा जिले के वरसाड तालुका में मामलातदार के यहां पटवारी नियुक्त किया गया।

हालांकि हमारा परिवार गुजरात का है, लेकिन मैं इससे पहले कभी गुजरात नहीं गया था। गुजरात जाने का मेरा यह पहला मौका था। मुझे यह नहीं मालूम था कि सरकारी दफ्तरों में भी छुआछूत होती है। इसके अलावा, मैंने अपने आवेदन–पत्र में भी यह लिख दिया था कि मैं एक हरिजन हूं, इसलिए मुझे उम्मीद थी कि मेरे वहां पहुंचने से पहले ही लोगों को यह पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। जब मैं मामलातदार के दफ्तर में पहुंचा और पटवारी का कार्यभार संभालने के लिए उपस्थित हुआ, तो वहां के क्लर्क का रवैया देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ।

कारकून ने मुंह बिचका कर पूछा, 'तुम कौन हो?' मैंने उत्तर दिया, 'श्रीमान, मैं एक हरिजन हूं।'' उसने कहा, 'दूर हटो। वहां दूर खड़े होकर बात करो। मेरे पास आकर खड़े होने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। गनीमत है कि यह दफ्तर के बाहर होता तो मैं तुझे छह ठोकर मारता। यहां नौकरी पर आने की हिम्मत कैसे हुई। इसके बाद उसने मुझसे कहा कि मैं अपने प्रमाण–पत्र और पटवारी के लिए नियुक्ति–पत्र जमीन पर डाल दूं। उसने उन्हें वहां से उठाया जब मैं वरसाड में मामलातदार के दफ्तर में काम करता था, तो मुझे पानी पीने के लिए बहुत कष्ट उठाना पड़ता था। दफ्तर के बरांडे में पानी के घड़े रख होते थे क्लर्कों को जब वे आते, पानी पिलाना था। जब पानी पिलाने मेरे लिए ऐसा करना असंभव था। मैं घड़ों को छू भी नहीं सकता था, क्योंकि मेरे छू लेने से पानी गंदा हो जाता। इसलिए मेरा पानी पीना दूसरों की कृपा पर निर्भर करता था। मेरे लिए वहां एक जंग खाया कनस्तर रख दिया गया था। कोई उसे छूता ही नहीं था और उसे मेरे सिवाय कोई साफ भी नहीं करता था। मेरे लिए इसी कनस्तर में पानी डाल दिया जाता था। लेकिन वह पानी भी मैं तभी पी सकता था, जब पानी पिलाने वाला वहां मौजूद हो। उस आदमी की इच्छा मुझे पानी देने की न होती थी। जब वह यह देखता कि मैं पानी पीने के लिए आ रहा हूं, तो वह जान–बूझकर इधर–उधर हो जाया करता था। नतीजा यह होता था कि मैं प्यासा ही रह जाता था। अक्सर मुझे प्यासा रहना पड़ता था।

मकान के मामले में भी मेरे सामने ऐसी ही मुश्किलें आईं। मैं वरसाड में अजनबी था। कोई सवर्ण हिंदू मुझे रहने के लिए किराए पर मकान क्यों देता? वहां के अस्पृश्य भी मुझे इसलिए मकान देने के लिए तैयार न हुए कि वहां के हिंदू लोग कहीं उनसे नाराज न हो जाएं। हिंदू नहीं चाहते थे कि मैं वहां एक क्लर्क के रूप में कार्य करूं, जो मेरे लिए ऊंची नौकरी थी। इससे भी ज्यादा मुश्किलें खाना खाने के बारे में सामने आई। मैं कहीं से भोजन प्राप्त नहीं कर सकता था। मैं सुबह–शाम भाजा खरीदकर खाता था, और वह भी मैं गांव के बाहर अकेले में खाता। लौटकर फिर मामलातदार के दफ्तर की सीढ़ियों पर सो जाता था। मैंने चार दिन ऐसे ही बिताए। जब मुझसे बर्दाश्त न हुआ, तब मैं जन्तराल में रहने के लिए चला गया, जो मेरा पुश्तैनी गांव था। यह वरसाड से करीब छह मील दूर है। मुझे रोजाना ग्यारह मील आना–जाना पड़ता था। मैंने डेढ़ महीने इसी प्रकार गुजारे।

इसके बाद मामलातदार ने मुझे पटवारीगिरी सीखने के लिए एक पटवारी के पास भेज दिया। उस पटवारी के अधीन तीन गांव, जन्तराल, खापुर और सैजपुर थे। वह जन्तराल में रहता था। मैं जन्तराल में उस पटवारी के साथ दो महीने रहा। उसने मुझे इस बीच में कुछ नहीं सिखाया। मैं उसके दफ्तर के अंदर एक बार भी नहीं जा सका। गांव का मुखिया खासतौर से मुझसे चिढ़ता था। एक बार उसने मुझसे कहा, 'तुम लोग' तुम्हारा बाप, तुम्हारा भाई पटवारी के दफ्तर में झाड़ू लगाते थे और तुम दफ्तर में हमारे बराबर बैठना चाहते हो? होश में आओ, और यह नौकरी छोड़ दो?''

एक दिन पटवारी ने मुझे सैजपुर बुलाया और गांव की जनसंख्या की तालिका बनाने को कहा। मैं जन्तराल से सैजपुर गया। मैंने देखा कि मुखिया और पटवारी कोई काम कर रहे थे। मैं गया, दफ्तर के दरवाजे के पास खड़ा रहा। मैंने उनको नमस्ते की, पर किसी ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। मैं पंद्रह मिनट तक बाहर खड़ा रहा। मैं अपनी जिंदगी से तंग हो चुका था। इस प्रकार उपेक्षित और अपमानित होने पर मुझे भी गुस्सा आ गया। वहां एक कुर्सी पड़ी थी। मैं उस पर बैठ गया। मुझे कुर्सी पर बैठा देखकर मुखिया और पटवारी मुझसे कुछ कहे बिना चुपचाप वहां से चले गए। कुछ ही देर में वहां लोग आने शुरू हो गए और देखते ही देखते मेरे चारों ओर भीड़ जमा हो गई। इस भीड़ का मुखिया गांव की लायब्रेरी का कर्मचारी था। मेरी समझ में नहीं आया कि क्यों कर एक पढ़ा–लिखा आदमी इस भीड़ का अगुआ बना हुआ है। फिर मुझे पता चला कि यह कुर्सी उसी की थी। उसने मुझे गंदी–गंदी गालियां बकनी शुरू कर दीं। फिर उसने रावनिया (गावं के चौकीदार) से कहा कि इस भंगी के कुत्ते को इस कुर्सी पर किसने बैठने दिया। चौकीदार ने मुझे उठा दिया और मुझसे कुर्सी छीन ली। मैं जमीन पर बैठ गया। तब भीड़ दफ्तर के भीतर घुस आई और मुझे घेर लिया। लोग गुस्से से लाल हो रहे थे। कुछ मुझे गालियां दे रहे थे और कुछ ने धमकी दी कि धारिया (तेजधार का तलवार जैसा हथियार) से मेरी बोटी–बोटी काट दी जाएगी। मैंने उनसे माफी मांगी और दया करने को कहा। भीड़ पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे जान बचाऊं। मेरे दिमाग में आया कि इस बारे में मैं मामलातदार को बताऊं कि किस तरह यह मुसीबत मेरे गले आ पड़ी है, और अगर इस भीड़ द्वारा मेरी हत्या कर दी जाए, तो मेरे शव का क्या किया जाए। मैंने सोचा कि अगर भीड़ को किसी तरह यह पता चल जाए कि मैं सचमुच मामलातदार से शिकायत कर रहा हूं, तो शायद लोग मुझे छोड़ दें। मैंने चौकीदार से कागज लाने को कहा, जो उसने ला दिया। इसके बाद मैंने बड़े–बड़े अक्षरों में यह चिट्ठी लिखी, जिसे हर कोई पढ़ सकता था।

'सेवा में,
मामलातदार,
वरसाड, तालुका।
महोदय,

कृपया कालीदास शिवराम परमार का विनम्र अभिवादन स्वीकार करें। मैं आपको विनम्रता के साथ सूचित करता हूं कि आज मौत साक्षात मेरे सामने आकर खड़ी हो गई है। यदि मैंने माता–पिता का कहना माना होता, तो आज यह नौबत नहीं आती। कृपया मेरे माता–पिता को मेरी मौत का समाचार दे दें।'

जो कुछ मैंने लिखा था, उसे लायब्रेरियन ने पढ़ लिया। उन्होंने मुझे चिट्ठी को फाड़ डालने के लिए कहा। मैंने वह चिट्ठी फाड़ दी। उन्होंने जी–भर कर मुझे गालियां सुनाईं और कहा, 'तुम चाहते हो कि हम तुम्हें पटवारीजी कहें, तुम एक भंगी हो, और दफ्तर में घुसकर कुर्सी पर बैठना चाहते हो। मैने दया की याचना की और वायदा किया कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा। मैंन नौकरी छोड़ी देने का भी वायदा किया। जब शाम को सात बजे भीड़ वहां से चली गई, तब तक मै। वहां रहा। तब तक पटवारी और मुखिया नहीं आए थे। उसके बाद मैंने पंद्रह दिन की छुट्टी ली और लौटकर अपने माता–पिता के पास बंबई आ गया।''

अस्पृश्यों के प्रति हिंदुओं के सामाजिक दृष्टिकोण का एक और उदाहरण है, जिसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। यह दृष्टिकोण निम्नलिखित उदाहरणों से और अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। आठ सितंबर 1943 के 'अलफजल' से :

''नासिक से पहली सितंबर को यह खबर मिली कि गांव के हिंदुओं ने एक अछूत परिवार पर धावा बोल दिया है। एक बुढ़िया के हाथ–पांव बांध दिए, उसे लकड़ियों के ढेर पर डाल दिया और उसमें आग लगा दी। यह सब–कुछ इसलिए हुआ कि वे सोचते थे कि गांव में हैजा इसी की वजह से फैला है।''

उनतीस अगस्त 1946 के 'टाइम्स आफ इंडिया से :

''खेड़ा जिले के एक गांव में सवर्ण हिंदुओं ने हरिजनों के मकानों पर हमला कर दिया। उनको संदेह था कि ये लोग जादू–टोना करते हैं, जिससे जानवर मर जाते हैं।

कहा जाता है कि दो सौ ग्रामीण लाठियां लेकर हरिजनों के मकानों में घुस आए, एक बुढ़िया को पेड़ से बांध दिया और उसके पैर जला दिए। उन्होंने एक और औरत की जबरदस्त पिटाई की।

हरिजन डरकर गांव से भाग गए। जिला हरिजन सेवक संघ के मंत्री छोटा भाई पटेल को जब इस घटना का पता चला, तो वह हरिजनों को गांव वापस ले आए हैं और उन्होंने हरिजनों की सुरक्षा के लिए अधिकारियों को एक पत्र भेजा है।''

एक और गांव से भी ऐसी ही घटना का समाचार मिला है। कहा जाता है कि यहां भी हरिजनों की जबरदस्त पिटाई की गई है।

बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। हिंसा की ऐसी ही एक और घटना हुई, जिसमें कहा गया है कि हिंदुओं ने मिलकर अस्पृश्यों पर हमला किया। यह खबर 22 सितंबर 1946 के 'भारत ज्योति' नामक समाचार–पत्र में छपी। इसका विवरण इस प्रकार है :

'वरसाड तालुका के हरिजन सेवक संघ के मंत्री को एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें कहा गया है कि खेड़ा जिले के वरसाड तालुका के एक गांव में ग्रामीणों की भीड़ द्वारा किए गए हमले के कारण पांच हरिजन गंभीर रूप से घायल हो गए। उनमें एक महिला भी थी। उन पर यह हमला धारियों और लाठियों से किया गया। यह हमला लगभग सात बैलों के मर जाने के कारण किया गया। गांव वालों को यह संदेश था कि हरिजन टोना–टोटका किया करते हैं।

घायलों को अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है और कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कहा जाता है कि गांव वाले हरिजनों को धमका रहे हैं कि यदि इस बारे में अधिकारियों से किसी तरह की शिकायत करेंगे, तो उन्हें जिंदा जला दिया जाएगा।

खेड़ा के गांवों में ऐसी घटनाएं प्रायः होती रहती हैं और जिलाधीश ने सभी पुलिस अधिकारियों और अन्य अधिकारियों को हिदायतें दी हैं कि हरिजनों का उत्पीड़न करने वालों को कड़ी सजा दी जाए।''

इन उदाहरणों से जो बात सामने आती है, वह साफ और सीधी है। कुछ और कहने की जरूरत नहीं। अस्पृश्य के पास आना भी आम हिंदू के लिए गवारा नहीं। उससे छूत लग जाती है। वह इंसान नहीं है। उसे दूर रखना चाहिए।

साभार :
बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर
सम्पूर्ण वाङमय खंड–9
पेज संख्या 50 से 61 तक
डॉ. बी. आर. अम्बेडकर

Youtube पर Dravid Bharat Channel को Subcribe करें और 🔔 दबायें।

मेले और तीर्थ स्थल

चित्तौड़

चित्तौड़ का किला दर्शनीय पर्यटन स्थल होने के साथ–साथ धर्म स्थल भी है। किले में ही पदिमिनी के जलने का जौहर स्थल है जो पूज्यनीय है। यहाँ हजारों हिन्दू माथा टेकने जाता है। नागरी एक स्थान है जहाँ हजारों मन्दिरों के खंडहर हैं ये पत्थरों के खंडहर आदमी के स्मगलिंग, काला धन्धा और वासना के धन्धों का स्थल है। जहां पत्थरों से करोड़ों रूपए की दौलत इधर की उधर होती है।

माउन्ट आबू

प्राकृतिक की दृष्टि से माउन्ट आबू बहुत रमणीक स्थल है। आबू हिन्दू मन्दिरों की कला का केन्द्र है। यह मन्दिरों का अजायबघर है। यहाँ पंडों, मारवाड़ियों, पंजाबियों का व्यापार स्थल भी है। इनका सारा व्यापार धर्म के नाम पर चलता है। आबू से 4 किलो मीटर दूर किलवाड़ा का प्रसिद्ध मंदिर एवं तीर्थस्थल है। यह संगमरमर का सुन्दर कलात्मक चित्रकारी युक्त विश्व भर में प्रसिद्ध है। आदिनाथ का प्रसिद्ध मन्दिर भुवनेश्वर प्रणाली पर बनाया गया भव्य मन्दिर है। यहां वस्तुपाल व तेजपाल के प्रसिद्ध मन्दिर भी हैं। 8 किलो मीटर दूर गौमुख मन्दिर एक प्रसिद्ध मन्दिर है जो शिल्प और मूर्ति कला का सुन्दर नमूना है। संगमरमर के गौमुख से एक धारा प्रवाहित होती दिखाई देती है। अचलगढ़ में प्रसिद्ध शिव का मन्दिर है। इसके अतिरिक्त यहाँ अनेक मन्दिरों की भरमार है। ओरियाँ का मंदिर और भर्तहरि की गुफा प्रसिद्ध है। अरावली की सबसे ऊँची चोटी पर अनुपम छटा के बीच दत्तात्रेय का मंदिर है।

माउन्ट आबू प्राकृति कला के साथ मनुष्यों की कला का भी केन्द्र है। छोटे बड़े कई सौ मन्दिरों की यह स्थली हिन्दू धर्म का केन्द्र है। लाल सफेद पत्थरों को काटकर बनाये गए ये मंदिर एक–एक करोड़ रूपए से अधिक की लागत के बने हुए हैं। ये भगवान के घर करोड़ों दलित मजदूरों के खून और पसीने से बनाये गए हैं जिनमें पत्थर के बैठे भगवान मुस्कराते और चैन की बंशी बजा रहे हैं और उन गरीबों की बेवकूफी पर हँस रहे हैं। इन मंदिरों में कई अरब रूपयों की सम्पत्ति है जिसका भोग वह पत्थर के शरीर का भगवान और पत्थर के हृदय का पंडा महंत वर्ग भोगता है। इन मंदिरों की औसतन आय एक करोड़ रूपया होती है। वर्ष में कई बार मेले लगते हैं। हजारो–हजारों एकड़ भूमि इन मंदिर और पत्थर के भगवान के नाम है जबकि करोड़ो लोग भारत में ऐसे हैं जिनके नाम पर एक इंच भूमि नहीं है। उन मंदिरों के भगवान और पंडे सोने के आभूषण पहनते हैं जिनका मूल्य एक–एक के पास दस–दस करोड़ रूपया है। जबकि अनेकों आदिवासी भारत के लाल प्रतिदिन भूख से दम तोड़ रहे हैं। न उनके तन पर कपड़ा है न सिर छिपाने का झोपड़ा।

ये मन्दिर विलासिता और कामुकता के केन्द्र है। नव विवाहित दम्पत्तियों के ये हनीमून स्थल है। हनीमून मनाने के लिए घने पेड़ के झुरपुट में छोटी–छोटी झोपड़ियों का निर्माण किया गया है, जिसे किराए पर लेकर लोग रात–रात भर अय्यासी करते हैं। यहां खुला व्यभचार होता है। इस व्यवसाय में सरकार भी भागीदार है क्योंकि ये स्थल उसने ही बनवाए हैं। यहां खुली लूट, खुला धंधा है औरत ले जाइए रात भर भोग कीजिए और फीस जमा कर दीजिए। यहां इस व्यवसाय के सहारे विवाहिता अविवाहिता हजारों स्त्रियों के सतीत्व लूटे जाते हैं। कुछ अय्यास लोग पेशेवर औरतों को ले जाते हैं और भोग में लिप्त रहते हैं। इन भोगियों का काम अकैली सुन्दरी से नहीं चलता है उनके सुरा पान के लिए जगह–जगह देशी विदेशी शराब के अड्डे खुले हुए हैं एक तरफ मन्दिर के भगवान का भोग घंटा बजाकर लगता है तो उनके बगल में मदिरा पीकर आदमी का भोग शुरू होता है। यह भोग व्यवसाय भगवान के भक्त चलाते हैं यह सबसे प्रमुख बात है। ये मंदिर बलात्कार के अड्डे हैं। मन्दिरों के सालाना व्यय का लेखा जोखा देखने से पता चलता है कि बीड़ी, सिगरेट, भांग चर्स, गांजा, अफीम से लेकर देशी विदेशी शराब भी चढ़ौने के रूपए में से खरीदी जाती और प्रयोग की जाती है।

जहां तक इन मन्दिरों की सम्पत्ति और वैभव का आंकलन हैं, सार राजस्थान के अछूतों को कुल सम्पत्ति के योग के बराबर माउन्ट आबू के और पास के मन्दिरों की सम्पत्ति है।

यहां के मंदिरों के अपने निजी वाहन और निजी दुकानें हैं हजारों एकड़ इनकी निजी भूमि है। यहाँ हिन्दू व्यापारी पुजारी सहित शराब, गांजा, अफीम, चर्स के साथ हीरे, सोने, चांदी की तस्करी करते हैं। मेलों के समय ठगों, जुआरियों, जेबकतरों, गाइडों, नचइयों को पण्डे ठेके पर उठा देते हैं। पुलिस को इसमें से कमीशन बंधा रहता है। और इस प्रकार यहां धर्म भीरू जनता की मिलकर खूब लुटाई होती है। यहां के धर्म के व्यापारियों ने होटल, गेस्ट हाउस, होली डे, होम टूरिस्ट बंगल, माउण्ट पैलेस, काटेज व्यापार के अड्डे खोल रखे हैं जहां पशु पक्षी, जलचरों और गाया का मांस बिकता है धर्म स्थलों के ये हिन्दू धन के लालच में गाय का मांस बेचते हैं और बाहर गौर रक्षा चिल्लाते हैं। नारी को देवताओं के वास स्थान का माध्यम माना है उसके शील का व्यापार होता है इन धर्म स्थानों पर जिसका शरीर दो रूपया से लेकर दो सौ रूपया रात बिकता है। हजारों पंडे इन मंदिरों में पलते हैं।

बयाना

बयाना का ऊषा मंदिर प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। जो भरतपुर से 40 कि.मी. दूर है। यहां पर मेला लगता है, लाखों की सम्पत्ति वाले इस मन्दिर की हजार रूपया रोजाना की आय होती है। जिससे 500 पंडे पलते है।

मान्डू

यह जिला थार (म.प्र.) में स्थित है। मान्डू की आनन्द की नगरी कहा जाता है। यह रोमांस और रहस्य का स्थल है जहां स्त्री पुरूष के जोड़े रोमांस करने आते हैं। यहां का राम मंदिर प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं। हिन्दू, क्षत्री, राणा कुंभा पर मुसलमान, बादशाह खिलजी की विजय की यादगार है। यह स्थल जहाँ हिन्दू नारियों का सतीत्व एक टके से भी कम में बिका था। यहां मुसलमान बादशाहों की हिन्दू बेगमों के हरम बने हुए हैं। मुसलिम शासक की हिन्दू बेगम रूपमती के प्रेम की कहानी की याद आज भी दिलाती है। यहां से 125 कि.मी. दूर पर वाघ गुफाएं आर 155 कि.मी. दूर महेश्वर के घाट और मन्दिर प्रसिद्ध हैं। इन घाटों ओर मंदिरों पर पूजा और रोमांस साथ–साथ चलता है। यहां आदमी पूजा के बहाने रोमांस भाव से जाता है। और बिना एक बार तन तृप्ति के लौटना यात्रा अर्थहीन मानी जाती है। यहां के खंडहर बिरहियों के मिलन गाह हैं। यहां के मंदिरों में भी वही मेले, वही अय्यासी, वही, विलासिता, वही व्यवसास, वही भ्रष्टाचार, वही पाखण्ड, लूट, ठगई मिलती है जो अन्य धर्म स्थल और मन्दिरों में है।

खुजराहों

खुजराहों के मंदिर मूर्ति कला के सुन्दर नमूने हैं यहां 85 मन्दिरों का निर्माण हुआ था जिसमें 63 मंदिर खंडहर हो चुके हैं और 22 मन्दिर अभी बचे हैं। खुजराहों का कभी जलजला था वैभव था और विलासिता की जन्नत था। यहां कभी खुजराहों के मुख्य द्वार पर सोने के खजूर के दो विशाल वृक्ष सुशोभित थे। यह भारत ही है जहां धर्म के नाम पर एक ओर सोने के टनों भारी विशाल वृक्ष बनाए गए और दूसरी तरफ इन्हीं धर्म के ठेकेदारों ने भूखे पेट सूखे तन दासों को कोड़े मार मारकर दम टूटी उनकी लाशें चील, गिद्धों के लिए फेंक दी। खुजराहों के मंदिर हिन्दू भगवान, हिन्दू पुजारी, हिन्दु गुरू, हिन्दू महंत के चरित्र संस्कृति, भोग विलास, मैथुन की नग्नता की कहानी कहते हैं। ऐसा कभी न किसी संस्कृति में देखा गया न सुना गया। रति और मैथुन कीणाएं करती हुई मूर्तियां इन मंदिरों के भगवान के सिर पर सवार हैं जो यह प्रदर्शित करती है कि यह हिन्दुओं का भगवान कितना भोगी, विलासी और कामुक है।

खुजराहों के मन्दिर तीन समूहों में बंटे हुए हैं। पूर्वी मन्दिर समूह, पश्चिमी मंदिर समूह और दक्षिणी मंदिर समूह पश्चिमी मंदिर समूह में चौसठ योगिनी मन्दिर है। यह मन्दिर पूर्ण पत्थर का बना हुआ है। यहां काली का मन्दिर है। खुजराहो का कन्दरिया महादेव मंदिर अद्भुत मंदिर है। यहां एक जगदम्बा मंदिर है। यहां चित्रगुप्त मन्दिर है। इसके मध्य में 11 सिर वाले विष्णु की मूर्ति है। सूर्य को सात अश्वों वाले रथ को हांकते हुए दिखाया गया है। बाहर की दीवारों पर आकर्षक मूर्तियां बनी हुईं है। पार्वती मन्दिर में मगरमच्छ पर सवार गंगा की मूर्ति है। यहां एक लक्ष्मण मन्दिर है जिसमें विष्णु की मूर्ति है मंतगेश्वर एक प्रसिद्ध मंदिर है। ब्रह्मा मंदिर पत्थर का बना हुआ है। वामन मन्दिर की बाहरी दीवारों पर दो कतारों में मूर्तियां प्रमुख है। चतुर्भुज मन्दिर में विष्णु की एक सुन्दर मूर्ति है। बनावट और कला के हिसाब से खुजराहों के ये मंदिर सब 50 अरब रूपए मूल्य के हैं। एक–एक मंदिर एक–एक अरब से भी अधिक का है। इन मन्दिरों का निर्माण 100 वर्ष से भी अधिक समय में हुआ है सैकड़ों मन सोना, चांदी, हीरे पन्ना इन मंदिरों की सम्पत्ति है। इन मन्दिरों की कीमत इतनी अधिक है कि सारे भारत में अति दलित लोगों की सम्पत्ति भी इनसे कम है। खुजराहो के मन्दिर में लाखों रूपया प्रतिदिन की आय होती है। हजारों ब्राह्मण प्रतिदिन मन्दिरों में पल रहा है। इन मन्दिरों के सहारे ब्राह्मणों ने विलासता और वासना की दुकाने खोल रखी है। जुआ शराब के अड्डे बने हुए हैं। दिन में घंटा बजता है तो रात में पायलें बजती हैं। यह है इन मन्दिरों की कहानी। मंदिरों के ऊपर बने रतिक्रिया में लीन स्त्री–पुरूषों के चित्र समस्त हिन्दू जाति को संदेश देते प्रतीत होते हैं कि यही जिन्दगी है ऐसा लगता है कि मन्दिर कभी अमीरों के ऐशगाह रहे होंगे जहां कभी घुंघरूओं की रूनखुन होती रहती होगी।

जम्मू–श्रीनगर

जम्बू को मन्दिरों को शहर कहा जाता है। इस नगर में छोटे बड़े सैकड़ों मंदिर हैं। यहाँ रघुनाथ चोक का रघुनाथ मंदिर अति दर्शनीय है। इस मंदिर के पास ही रघुनाथ भवन है जहां ठहरने की व्यवस्था है। यहां किराए पर ठहराया जाता है। इस भवन में लोग अग्रिम धन भेजकर कमरा आरक्षित करा लेते हैं। जम्मू के ये मंदिर बहुत धनी हैं। संसार भर का आदमी जो कश्मीर की सैर करने जाता है वह जम्मू भी जाता है। प्रायः एक हजार आदमी यहां प्रतिदिन बाहर से आता जाता है और 50 हजार रूपया औसतन प्रतिदिन का इन मंदिरों में चढ़ौना चढ़ जाता है। सोने चांदी से मंडित मूर्ति और मंदिरों की करोड़ो रूपयों की मूल्य की सम्पत्ति है। लगभग 5 हजार पंडा इन मंदिरों से पलता है। ये मन्दिर ऐशगाह है। भक्ती और वासना साथ–साथ दृष्टिगोचर होती है।

श्रीनगर बहुत रमणीक स्थल है । यहां लोग हजारों की संख्या में प्रतिदिन जाते हैं। इस गरीब देश में श्रीनगर जैसे खर्चीले शरह में पूँजीपति लोग जाते है। यहां पर ठहरने के लिए होटल, लाज और हाउस वोट साधन हैं। इन होटलों को अग्रिम धन भेजकर आरक्षित कराना पड़ता है। हाउसवोटों का किराया दो सौ रूपया से लेकर 500 रूपया प्रतिदिन होता है। होटलों में एक वक्त का खाना 50 रू. से 150 तक का पड़ता है। इन होटलों में गाय से लेकर सभी जनावरों का मांस मिलता है। भोजन के साथ मद्यपान प्रमुख अंग है। श्रीनगर ठगों की नगरी है जहां देशी–विदेशी सभी काटे जाते हैं। श्रीनगर और जम्मू में गोरी वाली महिलाएं किराये पर उठने के लिए घूमती रहती हैं। होटल, हाउस, वोट और लाज वाले इनकी दलाली का काम करते हैं। और शरीर की बिक्री का कमीशन खाते हैं। यहां बेहद गरीबी है गधे–घोड़े के ढोने का काम यहां आदमी करते हैं। इन स्थानों पर आदमी–आमदी का भेद स्पष्ट नजर आता है। एक आदमी 500 रूपया विलासिता पर खर्च कर रहा है तो दूसरा 5 रूपए के लिए जानवर की भांति परिश्रम कर रहा है।

साभार : हिन्दुओं के व्रत, पर्व और त्योहार
पृष्ठ सं० 202 से 206 तक
लेखक एस एल सागर

Youtube पर Dravid Bharat Channel को Subcribe करें और दबायें।

कुशल बनो। उत्पादन करो।। अधिकारों के लिए संघर्ष को तैयार रहो।।।

मानवता को वापस भुगतान करें
Pay back to humanity
कुछ भी संभव है
अगर आपको खुद पर विश्वास है

रक्षा और विभिन्न नागरिक कर्मचारी महासंघ ट्रस्ट

Defence And Multiple Civilian Employee Federation Trust

पंजीयन सं० 34 दिनांक 18/10/2023

भारतीय न्यास अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत

कार्यक्षेत्र समस्त भारत

–: पंजीकृत कार्यालय –

ग्राम व पोस्ट – रिवई (सुनैचा)
थाना – कबरई, जिला महोबा (उ० प्र०)
मो०: 7839007418
E-mail : damceftrust@gmail.com
Website : www.dbindia.org.in

–: प्रदेश कार्यालय उत्तर प्रदेश :–

म० न० 50B, तुलसी नगर
नियर पी० ए० सी० गेट
श्याम नगर, कानपुर (उ० प्र०)
मो०: 9506623779

प्रदेश प्रभारी

बीरबल वर्मा

मो०: 9936429765

लक्ष्य – रक्षा और विभिन्न नागरिक कर्मचारियों और अधिकारियों की समस्याओं से भारत सरकार एवं सभी सम्बन्धित राज्य सरकारों विभागों को अवगत कराना और उनके निराकरण हेतु कानून बनवाने आदि की मांग करना।
रक्षा और विभिन्न नागरिक कर्मचारियों और अधिकारियों के सहयोग से वंचित, पीड़ित, शोषित प्राणियों के कल्याण हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु तत्पर रहना।
शिक्षा – निःशुल्क शिक्षा हेतु भारत के प्रत्येक जिले में विभिन्न स्तर की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और संचालन करना।
स्वास्थ्य – चिकित्सा सेवाएं निःशुल्क प्रदान करवाना और चिकित्सालयों की स्थापना करना।
सामाजिक सुरक्षा – व्यक्तियों के संकट के समय, जन्म, मृत्यु या विवाह में होने वाले अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए लाभ प्रदान करना है।
रक्षा – रक्षा में लगे कर्मचारियों व उनके परिवार से है।
और – सभी
विभिन्न नागरिक कर्मचारी – संगठित और असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कार्मकारों से हैं। (सशस्त्र बलों में कार्यरत कर्मचारियों को छोड़कर)
महासंघ – भारत के नागरिकों का संगठन से है।
ट्रस्ट – विश्वास/भरोसा है।

उस संगठन को दान दें
जिस पर आप विश्वास करते हैं
Make Donations to
an Organization You Believe In

–: उद्देश्य :–

- लक्ष्य की पूर्ति हेतु पूर्ण कालिक कार्यकर्ताओं की नियुक्त करना आदि।
- संचालित शिक्षण/प्रशिक्षण संस्थाओं में गरीब बच्चों को शिक्षण हेतु प्रवेश दिलाना और उनका खर्च वाहन करना।
- रोजगार के सृजन के लिए औद्योगिक इकाइयों की स्थापना/संचालन करना आदि।
- भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डा० अम्बेडकर के विचारों के प्रचार–प्रसार के लिए कार्य करने वाले नागरिकों को ''डा० अम्बेडकर विचार प्रचार रत्न'' से सम्मानित किया जाना।
- प्राकृतिक चिकित्सा और योग के प्रचार–प्रसार के लिए कार्य करना आदि।

अतः आप सभी भारत के नागरिकों से अपील है कि तन, मन, से सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।

निवेदक –

सियाराम

राष्ट्रीय संयोजक/न्यासी, **मो०: 9454923394**

अनिल कुमार
राष्ट्रीय संयोजक (सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम)
मो०: 8593630338, 07897757223
श्रीमती उमेश्वरी देवी
राष्ट्रीय संयोजक (मुद्रण एवं संचार)
मो०: 9005204074, 8756157631
मनोज कुमार
राष्ट्रीय संयोजक (बेसिक शिक्षा विभाग)
मो०: 8787010365
पंकज कुमार
राष्ट्रीय संयोजक (माध्यमिक शिक्षा विभाग)
मो०: 7906006187
लेखचन्द्र गुप्ता
राष्ट्रीय संयोजक (खेल)
मो०: 9235728318
अजय कुमार
राष्ट्रीय संयोजक (राज्य कर्मचारी)
मो०: 7007822504
महिपाल
राष्ट्रीय संयोजक (भारतीय जीवन बीमा निगम)
मो०: 9935456466
जगदीश प्रसाद दिनकर
राष्ट्रीय संयोजक (हथकरधा विभाग)
मो०: 9455593651
विवेक कुमार
राष्ट्रीय संयोजक (सामाजिक संगठन)
मो०: 9616961612
श्रीमती सविता
राष्ट्रीय संयोजक (असंगठित क्षेत्र)
मो०: 8400430633
कु० ललिता
राष्ट्रीय संयोजक (महिला विभाग)
मो०: 7985811410
आशीष कुशवाहा
राष्ट्रीय संयोजक (अनुशिक्षण)
मो०: 8318038232
डा० अति दीपादन
राष्ट्रीय संयोजक (स्मारक एवं पार्क कर्मचारी)
मो०: 7269887945, 9258704062
विवेक कुमार चौधरी
राष्ट्रीय संयोजक (आयुध निर्माणियाँ अस्पताल)
मो०: 96969778910
महेश चन्द्र अहिरवार
राष्ट्रीय प्रवक्ता
मो०: 6388370835, 9956845323
विनोद कुमार
राष्ट्रीय संयोजक (संविदा एवं व्यापार)
मो०: 9935783705

–: राज्य कार्यालय छत्तीसगढ़ :–

वार्ड नं० 35 दुर्गा नगर
नियर नगर पालिका निगम कार्यालय के पास
जिला रायपुर
श्रीमती रमा गजभिये
राष्ट्रीय संयोजक (छत्तीसगढ़/महाराष्ट्र)
मो०: 7828273934
आयुष गजभिये
राज्य प्रभारी
मो०: 9131112561
राजबहादुर अहिरवार (बस्तर)
राज्य सहप्रभारी
मो०: 620306631

–: राज्य कार्यालय राजस्थान :–

जी–19, नियर आटो स्टैण्ड
खुदानपुरी, जिला – अलवर
ताराचन्द
राज्य प्रभारी
मो०: 8504063363

–: पूर्वोत्तर राज्य कार्यालय असम :–

ग्राम – चिपरसंगम पार्ट–1
पो० – अलगापुर जिला – हैलाकांदी
बिलालुद्दीन चौधरी
प्रभारी पूर्वोत्तर राज्य
मो०: 9401027750
भवानी बूढ़ा ठोकी
प्रभारी असम राज्य
मो०: 6000539663
हरीनाथ चौहान
राष्ट्रीय संयोजन (असम & बिहार राज्य)
मो०: 6000380690
रितुदास
राष्ट्रीय संयोजक (असम & पं० बंगाल राज्य)
मो०: 8638349801

–: प्रभारी हरियाणा राज्य :–

देवेन्द्र सहरावत
मो०: 9068831086

–: प्रभारी बिहार राज्य :–

अनिलदास # 9651217573
रामप्यार साह # 6263491099

–: प्रभारी म० प्र० राज्य :–

महेन्द्र तुरकर
प्रदेश प्रभारी
मो०: 8878372412
पुष्पेन्द्र अहिरवार
प्रदेश प्रभारी
मो०: 9669376505
रमाशंकर
प्रदेश प्रभारी उ० प्र० (बेसिक शिक्षिक)
मो०: 9450850778
ईश्वरी प्रसाद
राज्य संयोजक उ० प्र० (भारतीय जीवन बीमा निगम)
मो०: 9794366838
रामसिंह
मण्डल संयोजक झांसी
मो०: 9616838281, 6392558232
अनिल कुमार
मण्डल प्रभारी कानपुर
मो०: 9198414002
सुनील कुमार
मण्डल संयोजक वाराणासी
मो०: 9935363730, 9170836363
दातादीन
मण्डल संयोजक लखनऊ
मो०: 8115511006
सुनील कुमार
मण्डल संयोजक प्रयागराज
मो०: 8948990184
सुभाष चन्द्र
मण्डल संयोजक प्रयागराज
मो०: 8303995957
सुभाष कुमार
मण्डल संयोजक कानपुर
मो०: 9695931879
राकेश कुमार
जिला प्रभारी इटावा
मो०: 8009802461

पदाधिकारी बनने के लिए सम्पर्क करें – 9454923394

Youtube पर Dravid Bharat Channel को Subcribe करें और 🔔 दबायें।

मसालों के गुण व उपयोग

भारत 'मसालों का घर' है। भारत में मसालों की सर्वाधिक मात्रा उत्पन्न होती है और विश्व में हर वर्ष पांच लाख टन से भी ज्यादा मसालों के व्यापार में आधा हिस्सा भारत का है जो मसालों का सबसे बड़ा निर्यात है। भारतीय उपभोक्ताओं के लिए विविध मसालों के गुणों को समझना और सदुपयोग करना विशेषतः महत्वपूर्ण है।

सर्वाधिक महत्व के मसाले में हल्दी खनिज व विटामिन से युक्त रोगाणुरोधक, दर्दहर और रूचिकर सुवास तथा सौंदर्यबोधक वर्ण का मसाला है जो सांस्कृतिक तथा धार्मिक अनुष्ठानों में अभिन्न रूप से उपयोग में लाई जाती है। 'करक्यूम' नामक पीत रंगद्रव्य और ओलियोरेजिन नामक सुरूचिपूर्ण सुवास से युक्त मांगलिक हल्दी प्रायः अधिकांश व्यंजनों के लिए प्रिय मसाला है जिनको यह आकर्षक रंग प्रदान करती है, उनमें शुद्ध महक घोलती है, आक्सीकरण अवरोधक गुण प्रदान करती है और हर व्यंजन में अपनी छाप छोड़ती है। शुभ–सौभाग्य के प्रतीक हल्दी का प्रयोग सुहाग के कुमकुम बनाने में भी होता रहा है।

सालाना दस लाख टन की मात्रा में उत्पन्न होने वाली लाल मिर्च की लगभग एक दर्जन किस्में कच्चे हरे और पके लाल, पीले, नारंगी रूपों में मसालों, सलाद, तड़का या बघार अचार–चटनी आदि रूपों में व्यापक रूप से प्रयोग में लाई जाती है। 'कैप्सेसिन' नामक तीखे स्वाद के अल्कलायड और कैरोटीनायड रंगद्रव्य से युक्त लाल मिर्ची में पर्याप्त वसा, लौह, कैल्शियम, विटामिन बी और फास्फोरस होता है। हरी मिर्च में यह सर्वाधिक 115 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम की मात्रा में मौजूद होता है और यह ठीक ही है कि भारतीय भोजन की थाली में एक–दो हरी मिर्च विराजमान होती है। लाल मिर्च में इसका तीखा संघटक कैप्सेसिन 0.1–1.8 प्रतिशत मौजूद होता है और अगर इसे पानी से 10,00000 गुना पतला करें तो भी तीखापन पहचाना जा सकता है। जाहिर है कि भोजन में अल्प मात्रा में लाल मिर्च का प्रयोग इसे चटक स्वादिष्ट बनाना है किंतु बिना हिसाब के अधिक मात्रा में लाल मिर्च युक्त भोजन लेने से कैप्सेसिन यौगिक उदर में जलन, क्षोभ और अम्लीयता पैदा कर सकता है, यानी दिन की शुरूआत खराब सुबह से हो सकती है।

पुराने समय में जब लाल मिर्च नहीं होती थी तो काली मिर्च से भोजन को तीखा और जायकेदार बनाया जाता था। अपने विशिष्ट मध्यम तीखेपन और मनपसंद सुवास के कारण काली मिर्च अधिकाधिक मसालों की जान है जिसे 'मसालो का राजा' भी कहते हैं। काली मिर्च में वाष्पशील ईथर, अर्क, सक्रिय तीखा यौगिक अल्कलायड, पिपेरिन, पिपेरिडीन, पिपेरेटाइन और चेविसीन तथा महकदार फ्लेवर–यौगिक (पीपर तैल) टरपीन हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनकी बदौलत काली मिर्च को इसके विशिष्ट गुण तथा औषधीय प्रभाव प्राप्त होते हैं।

भारतीय भोजनों में प्रायः लहसुन–अदरक का योग होता है। अदरक में विशिष्ट हल्की तिक्तता पैदा करने वाला सक्रिय पदार्थ 'जिंजर तैल' होता है। जिसमें मनपसंद क्षुधावर्धक सुवास होती है। विटामिन थायसिन, रिबोफ्लेविन, नायसीन, एसकार्बिक एसीड और कैरोटीन से युक्त अदरक एक 'महाऔषधि' मानी जाती है जो पाचक, रेचक, उत्तेजक, दर्दहर, कफहर, कामवर्धक आदि गुणों से संपन्न हैं। दाल, सब्जी, रस, सूप, चटनी, अचार आदि सभी रूपों में अदरक और दवाओं में सूखी अदरक या सोंठ का प्रयोग होता है। अदरक के साथ लहसुन के प्रयोग से पाचन में वृद्धि, गैसहर प्रभाव, रक्तशुद्धि, कोलेस्ट्राल कम करने की क्रिया आदि में होती है। लहसुन की अप्रिय गंध के कारण वैष्णवजन इससे परहेज करते हैं।

मेथी में लगभग 400 मिलीग्राम कैल्शियम, 17 और 52 मिलीग्राम क्रमशः लोहा तथा विटामिन सी, 8.5 प्रतिशत प्रोटीन एवं 1.5 प्रतिशत खनिज युक्त मेथी में सुगंधित सारतत्त्व से युक्त यौगिक होते हैं जो मेथी को एक भेषजीय मसाले का दर्जा प्रदान करते हैं। मेथी में हल्के कड़वे स्वाद का लासेदार प्रकृति का म्युसिलेज यौगिक होता है। उदरशूल, गैस, पेचिस, रक्ताल्पता, मधुमेह आदि अवस्थाओं में मेथी का सेवन लाभदायक होता है।

सर्वसामान्य द्वारा नियमित रूप से उपयोग में लाए जाने वाले सुगंधित श्रेणी के मसालों में धनिया, जीरा और सौंफ तथा सुरास देने के लिए अजवाइन, सोआ, हींग आदि लोकप्रिय मसाले हैं। धनिया में नीबू के छिलके और कपूर के पत्ते की मिलीजुली सी शुद्ध महक रूचिकर होती है। धनिया शीतलक, मूत्रल, वातहर, क्षुक्षावर्धक, पित्तहर, बाजीकर और टानिक है जिसका प्रयोग प्रायः सभी तैयार मसालों में और मुखवास के रूप में होता है। सौफ सुरक्षित, मीठा, गैसहर, क्षोम–शामक, पाचक और कफनाशक मसाला और मुखवास है जिसका प्रयोग भोजनोपरांत आखिरी चर्वक पदार्थ के रूप में होता है। जीरा विशिष्ट महक और स्वाद से युक्त समृद्ध मसाला है जो पाचक, गैसहर, क्षुधावर्धक और उद्दीपक है। तैयार मसालों का अभिन्न अंग होने के साथ ही 'जलजीरा' के रूप में इसका व्यापक प्रयोग होता है। सोआ का उपयोग ज्यादातर मुखवास, औषधि, सूप, मिष्ठान, अचार–चटनी आदि में होता है। सुरभित सोआ गैसहर, ज्वरहर, दुग्धजनक, शीतलक, कृमिनाशक, हिचकी अवरोधक तथा उदरशूल–शामक है। अजवायन सुगंधित तैल से युक्त पाचक और गैसहर मसाला है जिसका प्रयोग अचार, सूप आदि में होता है। छिलका रहित अजवायन का प्रयोग चर्वक के रूप में करने से उच्च रक्तचाप के नियंत्रण में मदद मिलती है। हींग में गोंद, राल या रेजिन और गंधक का यौगिक होने से एक तेज गंध का मसाला है और गैसहर औषधियों का संघटक भी। पेट की ऐंठन, दर्द, गैस, जलंधर, ज्वर आदि में हींग का प्रयोग लाभदायक है। सरसों या राई के बीज में ग्लायकोसाइड के रूप में थायोसायनेट होता है जिसका स्वाद अचार में भरपूर उतरता है। छौंकने–बधारने आदि में सरसों का प्रयोग लोकप्रिय है।

गरम मसालों में दालचीनी, जायफल, जावित्री, तेजपत्ता, लवंग, इलायची इत्यादि समृद्ध और कीमती मसाले हैं जिनमें तेल महक और फ्लेवर होता है। वस्तुतः जावित्री व जायफल एक ही फल की छाल तथा गिरी के रूप में पैदा होते हैं। यह दोनों मसाले कामोद्दीपक माने जाते हैं और सभी गरम मसालों के संघटक होते हैं। जायफल उत्तेजक, गैसहर, स्तंभक और शोधहर होता है तथा मधुमेह, कफ, दमा, मुंह के छाले आदि के उपचार में उपयोगी है। तेजपत्ता में तेज सुवास होने से इसका प्रयोग ज्यादातर छौंकने–बघारने और सरस फ्लेवर पैदा करने में होता है। लवंग बहुउपयोगी मसाला और औषधि है जिसमें 15 प्रतिशत वाष्पशील तैल होता है। लवंग, दर्दहर, संवेदनहारी (ऐनस्थेटिक), गैसहर, अजीर्णनाशक और उत्तेजक होती है जिसका प्रयोग दांत के दर्द, गले की खराश, खांसी, टांसिल की सूजन आदि के उपचार में लाभदायक होता है। इलायची को 'मसालों की रानी' और 'भारत का राष्ट्रीय मसाला' कहा जाता है जो मुखशुद्धि तथा आतिथ्य हेतु सर्वाधिक प्रयोग में लाई जाती है। मधुर सुवास होने से इसे मसालों के अलावा मिष्ठान, खीर, दूध–मसाला, मुखवास, पान आदि में डालना नजाकत समझी जाती है। वैसे इलायची कीटाणुनाशक, पाचक और क्षुधावर्धक होती है। दालचीनी सुरभित, स्तंभक, उत्तेजक और समृद्ध भारतीय मसाला और औषधि हैं। छाल के रूप में दालचीनी में एक प्रतिशत तक वाष्पशील तैल होता है। मसालों का संघटक होने के अलावा दालचीनी का प्रयोग चाय–मसाला, फ्लेवर, मिष्ठान, दवाओं आदि में किया जाता है।

साभार :
उपभोक्ता वस्तुओं का विज्ञान
पेज संख्या 86 से 89 तक
रामचन्द्र मिश्र

चमचायुग पूना पैक्ट की ही देन है

(भरतपुर)

11 अक्टूबर 1982 को डी–एस4 जिला शाखा के तत्वावधान में सुबह साढ़े 9 बजे स्थानीय 'संत रविदास घेर' में पूना पैक्ट धिक्कार सभा का आयोजन किया गया। जिसमें जिले के कोने–कोने से आये दलित–शोषित समाज के लोगों ने भाग लिया।

डी–एस4 क्रांति के जनक माननीय कांशीराम जी ने अध्यक्ष पद से बोलते हुए लोगों को बताया कि हमने क्यों पूना पैक्ट का धिक्कार करना उचित समझा? उन्होंने बताया कि सरकार तो जो कि ब्राह्मणों की है और बनिये का पैसा, उनको पूना पैक्ट से फायदा हुआ, इसलिए सिल्वर जुवली वर्षगाँठ मनाने वाले थे लेकिन दलित–शोषित समाज को चूंकि पूना पैक्ट से नुकसान हुआ है, इसलिए हमें डी–एस4 द्वारा इसका धिक्कार करना ही उचित था।

डी–एस4 के संस्थापक मा. कांशीराम जी ने आगे बताया कि पूना पैक्ट ने किस कदर चमचे पैदा किये जो अपने भाई–बहिनों के हित की बात सरकार में कह नहीं सकते। यह चमचा और उनके द्वारा बना यह चमचा युग पूना पैक्ट की ही देन है। इसलिए उन्होंने कहा कि 50 साल बाद हम पूना पैक्ट का धिक्कार कर रहे हैं। हमारे पास समय कम है काम ज्यादा, इसलिए आपको अपने सम्मान की खातिर जल्दी से जल्दी तैयार हो जाना चाहिए। इस तरह पूना पैक्ट धिक्कार सभा की कार्यवाही समाप्त की गयी।

पूना पैक्ट धिक्कार सभा को रमेश चन्द माहवर, रूपचन्द सेठ (दिल्ली), बनै सिंह, गंगाराम (भरतपुर), मा. मानसिंह (आगरा) ने सम्बोधित किया।

(बहुजन संगठक, 3 वर्ष अंक 22, 15 नवम्बर 1982)

साभार :
मा. कांशीराम साहब के ऐतिहासिक भाषण
पेज संख्या 94
ए. आर. अकेला

Youtube पर Dravid Bharat Channel को Subcribe करें और 🔔 दबायें।

युग निर्माता कबीर (1398-1575)

सन्त कबीर के जन्म स्थान तथा जन्म तिथि के बारे में अभी भी कोई प्रामाणिक सूचना उपलब्ध नहीं हैं। '' कबीर चरित बोध '' में इनका जन्म-स्थान वाराणसी और जन्मतिथि जेष्ठ पूर्णिमा सन् 1455 (सन् 1398) बतायी गयी है। इस कबीर पन्थी ग्रन्थ में घटनाओं का वर्णन जिस शैली में किया गया है, उससे उनके ऐतिहासिक होने में सन्देह है। इसके अतिरिक्त दूसरे कई लेखक इनके सम्बन्ध में कुछ दूसरी ही बात कहते हैं। बनारस गजेटियर में कहा गया कि कबीर का जन्म वाराणसी या उसके आस-पास के किसी स्थान में न होकर आजमगढ़ जिले के मोहल्ला बेलहर में हुआ था, जो आज भी
वहां के पटवारी के कागजों में बेलहर पोखर के रूप में लिखा मिलता है। चन्द्रवली पांडये ने इसे ''पक्की'' खोज की संज्ञा देते हुए कहा है कि यही आगे चलकर जनता द्वारा ''लहर तालाब'' बना दिया गया होगा।

कुछ प्रामाणिक ग्रन्थों में कबीर के सम्बन्ध में कई घटनाएं पायी जाती है। नाभादास की रचना भक्तमाल में जो सन् 1585 में लिखी गयी थी कबीर के दृष्टिकोण का तत्कालीन सामाजिक समस्याओं के सम्बन्ध में स्पष्ट उल्लेख है। अबुल फजल लिखित '' आइन-ए-अकबरी'' में, जो अकबर महान के 42 वें वर्ष में सन् 1598 में लिखी गयी थी, कबीर के बारे में दो स्थानों-पृष्ठ 129 तथा 171 पर जिक्र मिलता है। इनमें कबीर को ''मुवाहिद'' अर्थात अद्वैतवादी कहा गया है। इनकी दो मजारें एक जगन्नाथपुरी तथा दूसरी रतनपुर (अवध) में भी बतायी गयी हैं। इसमें आगे लिखा है- '' आध्यात्मिक दृष्टि का द्वार उनके सामने अंशतः खुला था और उन्होंने अपने समय के सिद्धान्तों का भी प्रतिकार कर दिया था। हिन्दी भाषा में धार्मिक सत्यों से परिपूर्ण उनके अनेक पद आज भी विद्यमान हैं। ''कश्मीर के मोहसिन फानी द्वारा 17 वीं सदी के उत्तरार्द्ध में लिखित फारसी इतिहास ''दविस्ता'' में कबीर के सम्बन्ध में कई बातें लिखी मिलती हैं जो अन्यत्र वर्णित घटनाओं में मिलती जुलती हैं। इसमें लिखा है- ''कबीर जुलाहे और ऐकेश्वरवादी थे। कोई आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक मिले, इस इच्छा से वे हिन्दू साधुओं एवं मुसलमान पीर फकीरों, दोनो के पास गये। अन्त में जैसा कहा गया है, रामानन्द के शिष्य हुए। ''इनके अतिरिक्त अन्य कोई प्रामाणिक ग्रंथों, जैसे सन्त तुकाराम के गाथा अभंग 3241, अनन्त दास लिखित ''कबीर साहब जी की परचई'' और सन् 1604 में पांचवें गुरु अर्जुन देव द्वारा संग्रहित गुरुग्रन्थ साहब'' में सन्त कबीर के बारे में अनेक बातें कही गयी हैं, जो सत्य प्रतीत होती हैं। पर इनमें कहीं भी कबीर के जन्म स्थान और जन्म के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं हैं।

उपरोक्त तथा अन्य ग्रंथों में कबीर के जन्म-मरण के स्थान और तिथि के सम्बन्ध में जो परस्पर विरोधी बातें कही गयी हैं उनके अध्ययन से हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते हैं। हाँ, सर्वमान्य तथ्य उभर कर सामने जरूर आता हैं कि कबीर ने अपने जीवन के अधिकांश भाग वाराणसी में व्यतीत किये और जीवन के कुछ अंतिम वर्ष मगहर में। उनका पालन-पोषण एक जुलाहा दम्पत्ति नीरु और नीमा द्वारा किया गया था। उनकी पत्नी का नाम ''लोई'' पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। वे जुलाहे का काम करके अपना तथा अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे। वे रामानन्द के साथ-साथ कबीर झूसी के शेख तकी के समकालीन थे जिसने उनके स्वतंत्र विचारों के चलते अनेक यातनाएं दी थीं। कबीर की मृत्यु-तिथि के बारे में भी बहुत मतभेद हैं। कुछ लोगों के अनुसार उनकी मृत्यु मगहर में 1575 में हुई थी।

कबीर पढ़े-लिखे नहीं थें। उन्होंने एक स्थान पर कहा है-मसि कागद छुओ नहीं, कलम गह्यो नहीं हाथ। कबीर ने जो ज्ञानार्जन किया, वह साधु-सन्त और पीर-फकीरों की संगति के द्वारा ही किया । उन्होंने एक दूसरे स्थान पर कहा है- मैं कहता अंखियन देखी, तू कहता कागद की लेखी । एक अन्य स्थान पर उन्होंने कहा है- कर विचार मन ही मन उपजी न कहीं गया न आया । कबीर की कविता में जो मिर्जापुरी और गोरखपुरी बोलियों की छाप है उसका मुख्य कारण उनका बहुत समय तक वाराणसी में रहना ही हो सकता है। उनके कुछ ग्रन्थों की हस्तलिपियां कैथी लिपि में हैं, पर उनके साहित्य में पंजाबी तथा खड़ी बोली के भी शब्दों का समावेश हुआ है। कुछ के अनुसार इसका मुख्य कारण या तो कबीर का भिन्न-भिन्न भाषा-भाषी साधु-सन्तों की संगति हो सकती है अथवा सम्पादकों की मनमानी।

कबीर के साहित्य में मात्रा की कमी-बेशी है। अलंकार का अभाव है, पर कविता में सन्देश मुख्य होता है, अलंकार गौण। उन्हें जनता को एक सन्देश देना था, वो भी जनता की भाषा में, सीधी-सादी शैली में। वे पिंगल के नियमों में बन्धकर रास्ता भूलने के लिए तैयार नहीं थे। फिर उनमें प्रतिभा, मौलिकता और गहराई की कमी नहीं थी। डॉ. राम कुमार वर्मा ने तो कबीर को एक उच्च कोटि का कवि ही नहीं बल्कि विश्व के एक महान कवि का दर्जा भी दिया है। उनका कहना है- ''उनकी विरहिणी-आत्मा की पुकार'' काव्य जगत में अद्वितीय है। रहस्यवाद के दृष्टिकोण से यदि उनकी ''पतिव्रता का अंग'' पढ़ा जावे तो ज्ञात होगा कि उनका कवित्व संसार के किसी भी साहित्य का श्रृंगार हो सकता है। ''कबीर ग्रंथावली के सम्पादक डॉ. श्याम सुन्दर दास ने ग्रन्थ की भूमिका में लिखा हैं - रहस्यवादी कवियों में कबीर का ही स्थान सबसे ऊंचा है। शुद्ध रहस्यवाद केवल उन्हीं का है।''

किसी व्यक्ति के कृतित्व और व्यक्तित्व का सही मूल्यांकन उसके युग के सन्दर्भ में ही हो सकता है। जिन दिनों कबीर अपने मत के प्रचार में लगे थे, देश के दो बड़े-बड़े सम्प्रदायों हिन्दू और मुसलमान में विभक्त था। मुस्लिम राज्य देश के एक बड़े भू-भाग पर स्थापित हो चुका था। काजी और मुल्ला अपेक्षाकृत ऊंचे स्तर से अपने धर्म-प्रचार में जुटे थे। राज्य धर्म रहने के अतिरिक्त इस्लाम, निम्न जातियों तथा अन्य प्रताड़ित हिन्दुओं की धार्मिक और सामाजिक समता देने के लिए तैयार बैठा था। उधर हिन्दू मतावलम्बी खासकर उच्च वर्णीय हिन्दू, समाज पर अपने परम्परागत विशेषधिकारों और हितों की रक्षा के लिए वर्णाश्रम धर्म तथा जप-तप यज्ञ, तीर्थाटन के नियमों को और कठोर बनाने में संलग्न थे। हिन्दू धर्म एकछत्र धर्म नहीं रह गया था उसे आन्तरिक संघर्ष और विद्रोह का भी सामना करना पड़ रहा था। कबीर के ही समय या कुछ पहले, गुरु रामानन्द दक्षिण के अलवारों की भक्ति परम्परा को उत्तर भारत लाये और कबीर, रैदास, सेना, धना ये सभी सन्त कवि निम्न जाति के थे, अपना शिष्य बनाया। इनके अनुसार जो भक्ति मार्ग में आ गया उस पर वर्णाश्रम धर्म के नियम लागू नहीं होते। भक्ति मार्ग में श्रेष्ठता जन्म की नहीं भक्ति मार्ग की होती है। कबीर के समय में सूफीमत भी भारत में आ चुका था। सूफी इस्लाम के एकेश्वरवाद में विश्वास नही रखते थे। वे उपनिषद के विशिष्ठद्वैत से अधिक नजदीक थे। इनके विचार अधिक उदार और आगे चलकर इन्होंने हिन्दू और मुसलमान दोनों का सम्पूर्ण सम्मान प्राप्त किया।
रामानन्द दक्षिण के अलवारों की भक्ति परम्परा को उत्तर भारत लाये और कबीर, रैदास, सेना, धना ये सभी सन्त कवि निम्न जाति के थे, अपना शिष्य बनाया। इनके अनुसार जो भक्ति मार्ग में आ गया उस पर वर्णाश्रम धर्म के नियम लागू नहीं होते। भक्ति मार्ग में श्रेष्ठता जन्म की नहीं भक्ति मार्ग की होती है। कबीर के समय में सूफीमत भी भारत में आ चुका था। सूफी इस्लाम के एकेश्वरवाद में विश्वास नही रखते थे। वे उपनिषद के विशिष्ठद्वैत से अधिक नजदीक थे। इनके विचार अधिक उदार और आगे चलकर इन्होंने हिन्दू और मुसलमान दोनों का सम्पूर्ण सम्मान प्राप्त किया।

स्थिति को समझने और उससे जूझने की कबीर में विलक्षण शक्ति थी। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि हिन्दू-मुसलमानों के बीच जो मतभेद हैं, संघर्ष है उसके मुख्य कारण अन्धविश्वास और बाह्याडम्बर हैं, जबकि उनके मौलिक तत्व तो एक ही है। कबीर का भाषा पर असाधारण अधिकार था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी तो उन्हें वाणी के डिक्टेटर मानते हैं। अतः कबीर ने अपनी ''लुकाठी'' के रूख को उधर मोड़ा और सन्त और गृहस्थ, हिन्दू और मुसलमान किसी को भी नहीं बख्शा। उन्होंने कहा कि नंगे रहने से मुक्ति मिलती होती तो वन के सभी हिरन स्वर्ग में होते। गंगा स्नान करने स्वर्ग मिलता तो उसकी सभी मछलियां जीवन-मरण के बन्धन से कभी मुक्त हो गयी होती। उनका कहना था कि जटा और दाढ़ी बढ़ाकर साधु ''बकरा'' भले हो जाये स्वर्ग के अधिकारी नहीं हो सकते, न ही मुंडन कराने से ही कुछ लाभ है। यदि कुछ होता तो दुनिया में एक भी भेड़ देखने को नही मिलती। असली चीज तो नाम हैं आसन मारि मंदिर में बैठने और पत्थर के पूजने में कुछ भी आने-जाने को नहीं। कबीर ने मुसलमानों को बेमानी रोज़ा-नमाज़, मुल्लाओं को ऊंची आवाज में नमाज पढ़ने और ''सुन्नत'' को इस्लाम धर्म का अभिन्न अंग मानने के लिए उन्हें आड़े हाथों लिया। उनका कहना था कि यदि खतना कराना इतना जरूरी था तो माँ के पेट में ही करा कर क्यों नहीं आये और औरतों को कैसे मुसलमान मानते हो ? वे तो उसके बिना हिन्दू और मुसलमान दोनों के घर में लगी। आचार्य द्विवेदी ने अपनी पुस्तक 'कबीर' में ठीक ही कहा है कि 'बाह्याचार' की निरथक पूजा और संस्कारों की विचारहीन गुलामी कबीर को पसन्द नहीं थी।'' डॉ. श्यामसुन्दर दास ने कबीर ग्रन्थावली की भूमिका में ठीक लिखा है, कबीर का सारा जीवन अन्धविश्वासों का विरोध करने में ही बीता था।''

कबीर ने जप-तप, तीर्थ-यात्रा, मूर्तिपूजा इत्यादि कर्मकांडों को अन्धविश्वास मानकर विरोध किया है। नाभादास ने भक्तमाल (1558) में कबीर के सम्बन्ध में लिखते हुए कहा है, ''जोग, जग्य, व्रत, दान, भजन बिनु तुच्छ दिखाये।'' डॉ. परशुराम चतुर्वेदी ने अपनी पुस्तक '' उत्तरी भारत की सन्त परम्परा '' के पृष्ठ 182 पर कबीर के सम्बन्ध में लिखते हुए कहा है, ... इनकी रचनाओं मे बहुधा तीर्थ, व्रत, भेष, मूर्तिपूजा जैसी बाह्य बातों के प्रति इनकी अनास्था लक्षित होती है और अवतारवाद एवं शास्त्रविहित नियमों के प्रति विरोधाभास भी दिखाई पड़ता है।'' कर्मकांडो के सम्बन्ध में कबीर साहब का एक दोहा इस प्रकार है-

Youtube पर Dravid Bharat Channel को Subcribe करें और दबायें।

जप, तप, पूजा, अरचा, जोगि जग बौराना
कागद लिखी–लिखी जगत भुलाना
मन ही मन समान । ''

तीर्थयात्रा की कबीर ने जो भर्त्सना की है उससे बहुतों की भौंहे तन जाती हैं। वे कहते हैं

तीरथ गये तो वहि जूडे पानी न्हाय ।
कह कबीर सन्तों सुनों, राक्षस ह्वै पछिताय ।।
तीरथ भई विख वेलरी रही जुगन जुग छाय ।
कबिरन मूल निकंदियो, कौन हलाहल खाय ।।

छूत–छात सभी धर्मों, विशेषकर उनके आंरभिक स्तर पर मिलता है, पर हिन्दू धर्म में वह इस तरह समाया हुआ है कि अनेक प्रयासों और अनगिनत हानियों के बावजूद उसका पिण्ड छोड़ते नहीं दिखता। जन साधारण ही इससे ग्रसित हो ऐसी बात नहीं है, बड़े से बड़े धर्माचार्य भी इसकी पहुंच से दूर नहीं है। कबीर के समय में तो इसकी गिरफत और भी कड़ी थी। वाराणसी के तथाकथित साधु–सन्तों को निरूपित करते हुये कबीर कहते हैं, ''मुझे ऐसे सन्त अच्छे नहीं लगते जो टोकरे भर–भर कर पेड़े गटक जाते हैं। बरतन मांजकर ऊपर खाना खाते हें कि किसी की भोजन पर छाया न पड़ जाए और लकड़ी धोकर जलाते हैं।

नहीं है, बड़े से बड़े धर्माचार्य भी इसकी पहुंच से दूर नहीं है। कबीर के समय में तो इसकी गिरफत और भी कड़ी थी। वाराणसी के तथाकथित साधु–सन्तों को निरूपित करते हुये कबीर कहते हैं, ''मुझे ऐसे सन्त अच्छे नहीं लगते जो टोकरे भर–भर कर पेड़े गटक जाते हैं। बरतन मांजकर ऊपर खाना खाते हें कि किसी की भोजन पर छाया न पड़ जाए और

छूत की व्यापकता की ओर संकेत करते हुए कबीर साहब ने कहा है– '' जल में छूत है, थल में छूत है और ग्रहण के अवसर पर किरणों मे भी छूत है, जन्म में भी छूत है और फिर मरने मे भी छूत है। कह तो रे पंडित कौन पवित्र है ? आंखों में भी छूत है, कानों में भी छूत है, उठते–बैठते तुझे छूत लगती है। यहां तक कि भोजन में भी छूत है। '' पर छूत की भावना सर्वाधिक चूल्हा–चौका में पाया जाता है । मजाक में तीन कनौजिया तेरह चूल्हा कहकर इसकी पराकाष्ठा की ओर लोग संकेत करते पाये जाते हैं। कबीर ने कहा है,

'' एकै पवन, एक ही वाणी,
करि रसोई न्यारी जानी।
माटी सूँ माटी ले पोती,
लांगी कहों कहों कहा छू छोती।
धरती लीपि परित्तर कीन्हीं,
छोत्ति उपाय लीक विचि दीन्ही।
या का हम सूँ करों विचारा क्यों भव तीरहौं,
इति, आचारी । ''

छूत–छात चूल्हा या व्यक्तिगत जीवन तक ही सीमित होता तो कुछ बात नहीं थी, पर उसका रुप जटिल और समाज तक फैला हुआ था। अतः कबीर ने इसे गंभीरता से लिया जिसके संकेत उनके निम्नलिखित पद से मिलत है–

'' पंडित, देखा मन मो जानी।
कहु धौ छूत कहाँ ते
उपजी तबहिं छूत तुम मानी।
नाट्र बिन्दू रुधिर एक
संगै घट ही में घट सज्जै।
अष्ट कमल को पुहुयी आई कह ।
यह छूत उपज्जै।
लख चौरासी बहुत वासना
सो सब सरियों माटी।
एकै पाट सकल बैठारे सीचिं लेत धौं काटी।
छूतहि जेवन, छूतहि
अचवन छूतहि जग उपजाया।
कह कबीर ते छूत विवर्जित
जाके संग न माया। ''

कबीर जाति, वर्ण और आश्रम व्यवस्था के कट्टर विरोधी थे। नाभादास ने अपनी उपरोक्त पुस्तक ''भक्तमाल'' में कबीर के बारे में आगे लिखा है कबीरा राखी नहीं, वर्णाश्रम षट दरसनी। '' कबीर उस वैदिक सिद्धान्त के नहीं मानते थे कि चार वर्णों–ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की उत्पत्ति ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजा, जाँघ और पांव से हुई है।

इस सम्बन्ध में उनका एक पद का अंश इस प्रकार है–

'' हाथ, पांव, मुख, जांघ ते झूठी जानो बात '' उनका तो विश्वास था, '' पांव तत्व का पूतरा, रज बीरज की बून्द । एकै घाटी नीसरा, ब्राह्मण क्षत्री सूद। '' कबीर के एक बहुत चर्चित पद का भावार्थ है कि यदि कोई ब्राह्मण गर्व करता है कि वह तो ब्राह्मणी की कोख से उत्पन्न हुआ है तो इसमें कोई विशेष तुक नहीं क्योंकि उसके और दूसरों की जन्म प्रक्रिया भी एक जैसी ही है। उन्होंने आगे कहा है, '' यदि एक काली और सफेद गाय के दूध के रंग में कोई फर्क नहीं है तो उसी प्रकार हमारे कैसे लहु, तुम्हारे कैसे दूध, तुम कैसे ब्राह्मण हम कैसे सूद। '' इस सम्बन्ध में कबीर का एक और पद है जिसके उदाहरण का लोभ मैं संवरण नहीं कर सकता। वह इस प्रकार है–

'' माटी एक सकल संसारा, बहु विध भांडे घड़े, कुम्हारा ।
एक बून्द एक मल मूतर, एक चाम एक गूदा।
एक जोत से सबै उत्पन्न, कौन ब्राह्मण कौन सूदा ।।

किसी व्यक्ति के बड़े–छोटे होने का कबीर का मापदंड जाति नहीं, कर्म था। इस सम्बन्ध में उनका कहना था–

'' ऊंचे कुल क्या जनमिया,
जो करणी ऊंच न होई ।
सोवन कलस सुरै भरया,
साधू निन्धा सोई ।। ''

कबीर की तो मान्यता थी कि किसी की भी जाति नहीं पूछनी चाहिए। साधुओं को माध्यम से उन्होंने अपनी इस बात को यों कहा है–

सन्त न जाति पूछो निर्गुनिया। '' वे कहते हैं : जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिये ज्ञान ।'' क्योंकि जाति से न कोई ऊंच है न कोई नीच। '' नहि कोऊ ऊंचा नहि कोई नीचा। जाका प्यंड ताही का सींचा। '' आचार्य द्विवेदी ने अपनी उपरोक्त पुस्तक ''कबीर'' पृष्ठ 186 पर कबीर के सम्बन्ध में यहाँ तक कहा है– '' वे मनुष्य मात्र को समान मर्यादा का अधिकारी मानते थे, व्यक्तिगत, जातिगत, कुलगत, आचारगत श्रेष्ठता का उनकी दृष्टि में कोई मूल्य नहीं था। ''

सेवा में,

नाम .....

पता .....

.....

.....

कबीर का व्यक्तित्व महान और बहुमुखी था। अतः उनके मूल्यांकन के सम्बन्ध में लेखकों और आलोचकों में मतभेद होना लाजिमी है। कई उन्हें महाकवि मानते हैं तो कई मध्य युग के विद्रोही जन कवि। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी उन्हें महान मानते हैं, पर भक्त के रूप में। कबीर के काव्यत्व तथा समाज सुधार के रूप को वे एक बाईप्रोडक्ट मानते हैं। फोकट का माल जो, '' कोलतार और सीरे की भांति और चीजों को बनाते–बनाते अपने आप बन गया है। पर डॉ. रामकुमार वर्मा कबीर को विश्व कवि के अलावा एक उच्च कोटि का समाज सुधारक मानते हैं। अपने ग्रन्थ हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास का पृष्ठ 264 पर वे लिखते हैं, '' यद्यापि कबीर के उपदेश धार्मिक सुधार तक है क्योंकि भारतीय धर्म के अन्तर्गत '' दर्शन ', नैतिक आचरण एवं कर्मकांड तीनों का समावेश है। '' इसी तरह डॉ. परशुराम चतुर्वेदी कबीर को एक सर्वागीण सामाजिक क्रान्तिकारी मानते हैं। अपनी पुस्तक उत्तरी भारत की सन्त परम्परा के पृष्ठ 218 पर वे कहते हैं– ''ये जीवन के किसी विशेष पहलु पर ही अधिक जोर न देकर उसका पूर्णतः कायापलट कर देना चाहते थे। इन्हें परलोक जैसे काल्पनिक प्रदेश में आस्था नहीं थी। ये इहलोक को ही आदर्श व्यक्तियों के प्रभाव से स्वर्ग बना दिए जाने में विश्वास रखते थे ।''

सर विलियम हंटर ने कबीर को 15वीं सदी का भारतीय लूथर बताया है। कबीर ने संघर्षरत हिन्दू और इस्लाम धर्म के ठेकेदारों–काजी और मुल्ला एवं पंडित और पुजारियों के बाह्याचारों तथा अन्धविश्वासों का खंडन करते हुए पूछा,– '' ये दो जगदीश कहाँ से आये ? क्या अल्लाह, राम, और करीम उसी परमेश्वर के विभिन्न नाम नहीं हैं ? और पूजा नमाज क्या उसी परवरदिगार की इबादत के अलग–अलग ढंग नही है ? '' इस तरह अपने विचारों और वाणियों द्वारा आज से लगभग 500 वर्ष पहले उन्होंने एक धर्मनिरपेक्ष समाज की कल्पना ही नहीं की, नींव भी रखी। सामन्तवाद के विरुद्ध सदियों से चल रही लड़ाई को वाणी देकर '' साई के सब जीव हैं कीरी कुंजर दोय '' का नारा बुलन्द करके कबीर ने एक नये युग का सूत्रपात किया, जहाँ लोग मानव अधिकारों, धार्मिक, सामाजिक तथा आर्थिक का उपभोग कर सकें। धार्मिक अधिकारों की तत्कालीन लड़ाई अपने में सामाजिक अधिकारों और आर्थिक न्याय की माँग को समेटे हुई थी। कबीर सचमुच एक नये युग के प्रवर्तक थे, युग निर्माता थे।

साभार –
भारत के सामाजिक क्रान्तिकारी लेखक
देवेन्द्र कुमार बेसन्तरी

Youtube पर Dravid Bharat Channel को Subcribe करें और 🔔 दबायें।